

पंजीयन प्रमाण पत्र के द्वितीय प्रति संबंधी आवेदन के साथ भेजे जाने वाले अनुलग्नकों की सूची

1. मूल पंजीयन प्रमाण पत्र के गुम होने से संबंधित नोटरी के साथ शपथ पत्र की प्रति।
2. 5/-रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर।
3. अधिप्रमाणित घोषणापत्र की प्रति जिसके आधार पर समाचारपत्र /आवधिक पंजीकृत हुआ है।
4. यदि वार्षिक विवरणी जमा नहीं कराई है तो डी.डी.ओ., आर.एन.आई., नई दिल्ली के पक्ष में 1000/- रुपये प्रति वर्ष का दण्ड जमा करना होगा। (पी.आर.बी. अधिनियम, 1867 की धारा 19 डी के तहत आर.एन.आई. में वार्षिक विवरणी जमा करना अनिवार्य है।)
5. नवीनतम अंक की प्रति।